एक नजर में

पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की खेप, कार सहित दो तस्कर गिरफ्तार

ग्वालियर 6 मार्च . मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो शराब तस्करों को दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बिना नंबर की कार और भारी मात्रा में अंग्रेजी व देशी शराब जब्त की है। पुलिस टीम ने शनि काली माता मंदिर के पास घेराबंदी कर संदिग्ध सफेद स्विफ्ट कार को रोका। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बिरजू उर्फ रामब्रज सिंह गुर्जर (27) और रवि कुमार राठौर (32) के रूप में हुई है, जो मुरैना के निवासी हैं। कार की तलाशी लेने पर 4 कार्टून अंग्रेजी शराब और 3 पेटी देशी प्लेन मदिरा बरामद हुई। जब्त शराब की कीमत 55,140 रुपये और कार की कीमत लगभग 5 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास शराब परिवहन का लाइसेंस न होने पर उनके विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। यह कार्रवाई एसएसपी धर्मवीर सिंह के निर्देशन और थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह तोमर के नेतृत्व में अंजाम दी गई।

द्वारकाधीश मंदिर में बरसे फूल,रंग और गुलाल

ग्वालियर। द्वारकाधीश मंदिर में फाल्गुन मास के उल्लास के बीच 'फूलों की होली' का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर भक्ति के रंगों और गुलाल से सराबोर नजर आया। मंदिर में आयोजित इस विशेष उत्सव ने श्रद्धालुओं को ब्रज की होली की जीवंत अनुभूति कराई। पंडित राज किशोर ने कहा कि आज मंदिर का दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात वृंदावन ग्वालियर के द्वारकाधीश मंदिर में उतर आया हो। करीब दो घंटे तक चले इस आयोजन में श्रद्धालु होली के पारंपरिक गीतों और भजनों पर झूमते नजर आए। इस अवसर पर पंडित जी की धर्मपत्नी बेहद उत्साहित नजर आई . श्रीमती राज किशोर का कहना था कि आज से पहले मैंने कभी इतनी अच्छी होली नहीं खेली यह पल मेरे जीवन का सबसे आनंद वाला पल है। द्वारकाधीश मंदिर समिति के अध्यक्ष पारस जैन ने बताया कि भक्तों ने एक-दूसरे पर फूलों की पंखुड़ियां और गुलाल उड़ाकर होली मनाई। मंदिर समिति महामंत्री जगदीश मित्तल के अनुसार, इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से जोड़ना है। फूलों की इस होली के साथ ही मंदिर में होली उत्सव का विधिवत उल्लास शुरू हो गया है।

विशेष संपत्ति कर वसूली शिविर का आयोजन आज

ग्वालियर 6 मार्च। सम्पत्तिकर वसूली के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कॉलोनियों, मार्केट, मल्टियों तथा विभिन्न स्थानों पर संपत्ति कर वसूली शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से ऐसे रहवासी जिनके पास भवन की रजिस्ट्री नहीं है केवल नोटरी है या काबिज हैं उनके लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें वह काबिज की रसीद पर संपत्ति कर जमा करा सकते हैं। अपर आयुक्त मुनीष सिकरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 के लंबित सम्पत्तिकर वसूल किए जाने हेतु कॉलोनियों, मार्केट आदि जगहों पर कैंप आयोजित कर सम्पत्तिकर जमा कराया जा रहा है। जिसके तहत आज शनिवार 7 मार्च को विभिन्न स्थानों पर सम्पत्तिकर शिविर आयोजित किए जाएँगे। यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगाया जाएगा। सम्पत्तिकर शिविर जिसमें वार्ड 23 के लिए पलिया चक्की के पास श्रीनगर कॉलोनी, वार्ड 25 के लिए 7 नम्बर चौराहा, वार्ड 5 के लिए गौरव विद्या मंदिर स्कूल के पास चंदन राय की कोठी के पीछे शील नगर, वार्ड 29 के लिए गायत्री विहार सुधा भदौरिया के स्कूल पर, वार्ड 60 संगम एवेन्यू ओहदपुर, वार्ड 33 के लिए लक्ष्मण तलैया, वार्ड 27 के लिए चिक संतर मंदिर वाली गली समाधिया के मकान के पास, वार्ड 20 के लिए आशा कन्या स्कूल के पास रणधीर कॉलोनी, वार्ड 7 के लिए अर्वन ग्रीन सिटी सागरताल जलालपुर रोड, वार्ड 61 के लिए अचलेश्वर रेजीडेंसी सिरोल मॉडल टाउन, वार्ड 53 के लिए पानपत्ते की गोठ लक्कडखाना सहित अनेक स्थानों पर सम्पत्तिकर वसूली शिविर आयोजित किए जाएँगे।

जनगणना के प्रशिक्षण शिविर में अनुपस्थित रहने पर पांच क्षेत्र अधिकारियों को नोटिस जारी

ग्वालियर 6 मार्च। जनगणना प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर पांच क्षेत्रीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय द्वारा जारी आदेशानुसार क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्र क्रमांक 16 प्रगति गोस्वामी, क्षेत्र क्रमांक 12 कृतिका विश्वकर्मा, क्षेत्र क्रमांक 14 अनिल श्रीवास्तव, क्षेत्र क्रमांक 3 अभिषेक प्रसाद एवं क्षेत्र क्रमांक 02 तनुजा वर्मा जनगणना 2027 के प्रथम चरण यथा मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के कार्य के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन 26 एवं 27 फरवरी को बाल भवन स्थित एवयूआई सभागार में रखा गया था, प्रशिक्षण 27 फरवरी को दोपहर लंच समाप्ति उपरांत प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई विकास कार्यों की समीक्षा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 6 मार्च। खनिज प्रतिष्ठान मद से जिले में जल संरक्षण के कार्यों को हाथ में लिया जायेगा। इसके साथ ही शासकीय स्कूलों के जीर्णोद्धार, बड़े कस्बों में सोलर पैनल के माध्यम से स्ट्रीट लाइट के साथ ही अस्पतालों में पेयजल प्रबंधन के लिये आरओ सिस्टम लगाने का कार्य किया जायेगा। कलेक्टर रुचिका चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में खनिज प्रतिष्ठान मद से जिले में किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही आगामी विकास कार्यों के संबंध में जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तार से समीक्षा की गई। खनिज प्रतिष्ठान मद से ग्वालियर जिले में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2025-26 तक कुल 29 करोड़ 27 लाख 12 हजार रुपए से अधिक की राशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है। इनमें मुख्य खनिज से 2 करोड़ 72 लाख 36 हजार एवं गौंण खनिज से 26 करोड़ 16 लाख 40 हजार रुपए से अधिक राशि प्राप्त हुई है। जिले में खनिज प्रतिष्ठान मद से प्राप्त राशि से राज्य स्तर से एवं जिला स्तर से कार्य स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत कार्यों को तत्परता से पूर्ण करने की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश कुँवर सिंह जाटव, विधायक भितरवार मोहन सिंह राठौर, विधायक ग्वालियर पूर्व डॉ. सतीश सिकरवार, विधायक ग्वालियर ग्रामीण साहब सिंह गुर्जर, डबरा विधायक सुरेश राजे, सांसद प्रतिनिधि विजय दुबे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत सहित विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खनिज प्रतिष्ठान मद से स्वीकृत किए गए सभी कार्य एवं वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों की सूची समिति के सभी प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही जो निर्माण कार्य प्रचलन में है, उसका कार्य गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने समिति के सदस्यों से आग्रह किया है कि जिले में जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता के साथ लिया जाए, ताकि शासन की मंशा अनुसार जिले में जल संरक्षण अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया है कि जिन ग्राम पंचायतों में कार्य स्वीकृत हैं और कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है वहाँ के सरपंचों को भी नोटिस जारी किए जाएं। कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि खनिज प्रतिष्ठान मद से जिले के चयनित ऐसे स्कूल जिनके भवनों की स्थिति ठीक नहीं है, उनका जीर्णोद्धार, जिले के बड़े कस्बों में सोलर पैनल के माध्यम से स्ट्रीट लाइट और चयनित अस्पतालों में मरीजों एवं उनके परिजनों के लिये शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये आरओ सिस्टम लगाने के कार्य को भी प्राथमिकता दी गई है।

निगमायुक्त ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 6 मार्च। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महाराज बाडा क्षेत्र स्थित क्षेत्रीय कार्यालय एवं क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निगमायुक्त संघ प्रिय ने क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 19 में अवलोकन किया तथा निरीक्षण के दौरान अनेक कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं थे, जिन्हें नोटिस देने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उपस्थित कर्मचारियों से सम्पत्तिकर एवं क्षेत्रीय कार्यालय की अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात दौलतगंज स्थित में किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को देखा तथा संबंधित अधिकारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली एवं शीघ्र सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश कार्यपालन यंत्री सुशील कटारे को दिए गए। इसके साथ ही महाराज बाडा स्थित मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण कार्य का अवलोकन किया तथा मौके पर उपस्थित सहायक इंजीनियर से निर्माण कार्य की जानकारी ली और कार्य समय से पूर्ण करने के निर्देश संबंधित ठेकेदार को दिए गए। इसके उपरांत निगमायुक्त द्वारा शासकीय प्रेस के जीर्णोद्धार कार्य का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की बालिकाओं के बनाए जायेंगे ड्रायविंग लायसेंस

ग्वालियर 6 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बाल भवन में 9 मार्च को प्रात: 11 बजे से 'पिंक ड्रायविंग लायसेंस कैम्प' लगाया जायेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास उपासना राय ने बताया कि इस शिविर में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की बालिकाएँ व महिलाएँ आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर ड्रायविंग लायसेंस के लिये अपना पंजीयन करा सकती हैं। पंजीयन के लिये आधारकार्ड, आधारकार्ड से लिंक मोबाइल फोन नम्बर (ओटीपी के लिये), समग्र आईडी इत्यादि दस्तावेज जरूरी होंगे। जिले की इच्छुक बालिकाएँ रूपसिंह स्टेडियम के समीप स्थित बाल भवन में 9 मार्च को प्रात: 11 बजे उपस्थित होकर इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं।

गर्भवती माताओं के लिए अनूठा फैशन शो कल

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 6 मार्च। आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्वालियर द्वारा रोटरी क्लब जाग्रति के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक अनूठा कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग द ब्यूटी ऑफ मदरहूड आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम 8 मार्च को दोपहर 3 बजे से होटल रेडिसन ग्वालियर में आयोजित होगा। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रुचिका चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी, जबकि समीक्षा एवं डॉ. ज्योति बिंदल कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मुकेश सभरवाल, ग्रुप सीईओ, आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ने बताया कि यह आयोजन मातृत्व की शक्ति, सौंदर्य और गरिमा को सम्मान देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शहर की गर्भवती माताएं रैंप वॉक करेंगी तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। रोटरी क्लब ऑफ ग्वालियर जागृति की अध्यक्ष परविंदर सचदेवा ने बताया कि रोटरी क्लब समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए निरंतर कार्य करता रहा है। यह आयोजन गर्भवती माताओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने और समाज में मातृत्व के महत्व को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों के लिए आकर्षक पुरस्कार, गिफ्ट हैम्पर्स तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ संवाद का अवसर भी उपलब्ध रहेगा।

विजयाराजे कन्या महाविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय सेमिनार आज से

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 6 मार्च. विजयाराजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरार में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से 7 एवं 8 मार्च को दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय

भारतीय ज्ञान परंपरा एवं समग्र शिक्षा पर होगा मंथन

सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार का मुख्य विषय 'भारतीय ज्ञान प्रणाली और समग्र शिक्षा: गुरुकुल से लेकर एनईपी 2020 तक रखा गया है।

दिग्गज हस्तियां करेंगी शिरकत

सेमिनार का उद्घाटन 07 मार्च को सुबह 10 बजे नयी दिल्ली के आशुतोष भटनागर द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि एवं वक्ताओं में डॉ. मुकेश मिश्रा, डायरेक्टर, दत्तोपंत ठेंगडी शोध संस्थान, भोपाल, पंकज द्विवेदी डलास, टेक्सास (यूएसए), पंकज नाफडे संयुक्त महामंत्री, भारतीय शिक्षण मंडल, प्रो. अल्का पाण्डेय: लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉ. राजकुमार आचार्य कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर शामिल होंगे।

7 मार्च): कुल 6 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, 8 मार्च को 4 तकनीकी सत्र होंगे, जिनमें अमेरिका से निखिल मिश्रा सहित प्रयागराज और भोपाल के वक्ता शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे समापन सत्र के मुख्य अतिथि डॉ. राजेश सिंह तोमर (कुलपति, एमिटी यूनिवर्सिटी) और विशिष्ट अतिथि डॉ. राकेश कुशवाह होंगे। अब तक 300 से अधिक प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण कराया है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के विद्वान हिस्सा ले रहे हैं।

9 मार्च को होगा वार्षिक उत्सव

सेमिनार के ठीक अगले दिन, 9 मार्च को महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह होंगे और सारस्वत अतिथि के रूप में जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. राजकुमार आचार्य मौजूद रहेंगे। आयोजन टीम इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य डॉ. एस.के. श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। आयोजन सचिव डॉ. अनुपमा श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक डॉ. साधना तोमर और सह-समन्वयक डॉ. रतन सिंहा हैं।

डॉक्टर की संदिग्ध मौत में नया मोड़, परिजनों ने लगाया 'हत्या के लिए उकसाने' का आरोप

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 6 मार्च। शहर के एक चिकित्सक की संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर मिली लाश के मामले ने अब नया तूल पकड़ लिया है। मृतक डॉ. जगदीश सिंह सिकरवार के परिजनों ने शुक्रवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए

करोड़ों के घोटाले और मानसिक प्रताड़ना का मामला; पार्टनर डॉक्टर और उनके परिवार पर लगाए गंभीर आरोप

इसे सामान्य आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। परिजनों का दावा है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि आर्थिक धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न के कारण 'हत्या के लिए उकसाने' का मामला है।

परिजनों के वकील ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पत्नी संध्या सिंह सिकरवार ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पार्टनर डॉक्टर और उनके परिजनों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। परिजनों का स्पष्ट कहना है कि इन लोगों द्वारा दी गई धमकियों और प्रताड़ना के कारण ही यह दुखद घटना घटी है। उनका कहना है कि यह पूरी तरह से साजिश और मानसिक उत्पीड़न का परिणाम है। हम चाहते हैं कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को कड़ी सजा मिले।

लापता होने के बाद ट्रैक पर मिला शव- गौरतलब है कि मानसिक तनाव के बीच, 25 जनवरी की सुबह डॉ. सिकरवार रोजाना की तरह सैर पर निकले थे। दोपहर करीब 12:30 बजे परिजनों को सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है, जिसकी पहचान बाद में डॉ. सिकरवार के रूप में हुई थी।

साझेदारी में धोखाधड़ी का आरोप

परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, डॉ. जगदीश सिंह सिकरवार और आरोपी डॉ. गुप्ता 'परख एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर' में बिजनेस पार्टनर थे। आरोप है कि डॉ. गुप्ता ने अपने भाई और पुत्र के साथ मिलकर फर्म में वित्तीय अनियमितताएँ शुरू कर दीं और कथित तौर पर करोड़ों रुपयों का घोटाला किया। परिजनों का यह भी आरोप है कि जब डॉ. सिकरवार ने हिसाब-किताब को लेकर सवाल उठाए, तो उन्हें लगातार धमकियां दी जाने लगीं। परिजनों ने बताया कि 23 जनवरी को सेंटर पर एक तीखी बहस हुई, जिसमें स्टाफ के सामने डॉ. सिकरवार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। परिजनों का कहना है कि इस घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी भी है। चश्मदीद ने शपथ पत्र देकर पुष्टि की है कि उस दिन डॉ. गुप्ता और डॉ. सिकरवार के बीच विवाद और धमकी की घटना हुई थी।

8 कर्मचारियों को नोटिस जारी

ग्वालियर 6 मार्च । कार्य में लापरवाही बरतने पर स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एवं उपयंत्री सहित 08 को नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय द्वारा जारी आदेशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी भीष्म कुमार पमनानी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी गौरव सेन, कमल खरे, जोनल हेल्थ ऑफिसर कृष्ण पाल मेहता, प्रदीप सेन, वार्ड हेल्थ ऑफिसर विजय खरे एवं वीरू सिंह को भ्रमण के दौरान सफाई व्यवस्था में लापरवाही पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किये गए।

CHANGE OF NAME

I, NEELA BHARGAVI SPOUSE OF 15199667H NK(DS) NEELA VEERA PRASAD RESIDENT AT- H. NO:1/7, VILLAGE- ARAVEETIVANDLA PALLI, TEH- GALIVEEDU, PO GALIVEEDU, PS- GALIVEEDU, DISTT- ANNAMAYYA , STATE- ANDHRA PRADESH , PIN CODE - 516267 HAVE CHANGED MY NAME OF NEELA BHARGAVI TO GALLA BHARGAVI VIDE AFFIDAVIT NO. BX 811843 DATED 27.02.2026 BEFORE NOTARY GWALIOR.

वैशाली के हुनर को मिले पंख

ग्वालियर। कभी केवल घरेलू कामकाज तक सीमित रहीं वैशाली परिहार महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण बन गई हैं। अपने हुनर व सरकार से मिली मदद की बदौलत वे आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं।

आम सूचना

श्रीमती अनीता राठौर पत्नी श्री कल्लू राठौर के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति म्युनिसिपल भवन क्र.1108/2, स्थित बकड़े की गांव, लश्कर, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) में है एवं जिसका क्षेत्रफल 32.73 वर्गमीटर है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में-भवन छोटेलाल, पश्चिम में-भवन देवलाल, उत्तर में-रास्ता एवं दक्षिण में-सम्पत्ति दीगर है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न सम्पत्ति पूर्व में श्री जगन्नाथ प्रसाद पुत्र श्री मिश्रीलाल वैश्य द्वारा श्री कल्लाराम बाथम को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 21.10.1957 से विक्रय की गई। श्री कल्लाराम बाथम का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री देवलाल, श्री गोपाल, श्री छोटेलाल पुत्रगण स्व. श्री कल्लाराम उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये। श्री देवलाल, श्री गोपाल, श्री छोटेलाल के मध्य रजिस्टर्ड विभाजन विलेख क्र. 1215 दिनांक 14.10.2002 को सम्पादित किया गया। तत्पश्चात श्री गोपाल पुत्र श्री कल्लाराम उक्त सम्पत्ति के मालिक हुये। श्री गोपाल का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री अशोक बाथम पुत्र स्व. श्री गोपाल बाथम उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये। श्री अशोक बाथम का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्रीमती कलावती पत्नी स्व. श्री अशोक बाथम उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं नगर निगम ग्वालियर में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्रीमती कलावती द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती अनीता राठोर पत्नी श्री कल्लू राठौर को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.675 दिनांक 01.07.2014 से विक्रय की गई। श्रीमती अनीता राठौर द्वारा उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने हेतु श्रीमती उमा सोनी पत्नी श्री रामदास सोनी के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्रीमती उमा सोनी द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सम्पत्ति के अन्य सहस्वामियों को एवं श्री खुबीराम के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 14 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्रीमती काशीबाई पत्नी स्व. श्री खुबीराम के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन, स्थित शेख बगिया, जनकगंज, लश्कर, प.ह.नं. 22 (पुराना क्र.04), तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) में है एवं जिसका क्षेत्रफल 576 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में-भवन काशीराम, पश्चिम में-रास्ता, उत्तर में-भवन खच्चूराम एवं दक्षिण में-भवन खरगा राम है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री घंसू पुत्र श्री भीकाराम बगेरा एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री घंसू एवं अन्य द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री सीताराम पुत्र श्री रामलाल को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.1683 दिनांक 02.08.1961 से विक्रय की गई। श्री सीताराम, श्री राजाराम (नाबालिग), श्री कल्लू (नाबालिग), श्री छोटे (नाबालिग) पुत्रगण श्री सीताराम सरपरस्त पिता श्री सीताराम पुत्र श्री रामलाल द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री खुबीराम पुत्र श्री जीवनलाल को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.3691 दिनांक 17.08.1974 से विक्रय की गई। श्री खुबीराम का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्रीमती काशीबाई पत्नी स्व. श्री खुबीराम उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं नगर निगम ग्वालियर में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्रीमती काशीबाई द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार टाटा कैपीटल हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सम्पत्ति के अन्य सहस्वामियों को एवं श्री खुबीराम के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार राकेश कुमार गौड पुत्र श्री रामभरोसी गौड ने उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट स्थित गली नं. 01 बागबहरा हनुमान मंदिर के पास, ग्राम जौराखुर्द जिला मुरैना में है। जो कि सर्वे क्र. 1227/2/1 का भाग 1300 वर्गफुट है। जिसका म्यु. वार्ड क्र. 45 है, जो मेरे पक्षकार ने विक्रय अनुबंध पत्र के तहत क्रय करना स्वीकार किया। मेरे पक्षकार के विक्रेतागण आशुतोष शर्मा, वरूण शर्मा, कर्तिकेय शर्मा पुत्रगण स्व. श्री रमेशचन्द्र शर्मा एंव श्रीमती नीलम शर्मा पत्नी स्व. श्री रमेशचन्द्र शर्मा के पिता व पति की पैत्रिक भूमि है। लेकिन मेरे पक्षकार के विक्रेतागण पिता व पति श्री रमेशचन्द्र शर्मा की मृत्यु होने के बाद वारिसान की हैसियत काश्त की कृषि भूमि खसरे में संयुक्त भूमि राजस्व अभिलेख मे भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज होकर चली आ रही। मेरे पक्षकार के द्वारा किये विक्रय अनुबंध पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है। पूर्व में-रोड पश्चिम में- प्लॉट सम्पत्ति राकेश व्यास, उत्तर में-रोड, दक्षिण में- सम्पत्ति कल्ला शर्मा जिसका कुल क्षेत्रफल 1300 वर्गफुट है। लेकिन मेरे पक्षकार के विक्रेतागण पिता व पति श्री रमेशचन्द्र शर्मा की मृत्यु होने के बाद वारिसान की हैसियत मेरे पक्षकार राकेश कुमार गौड पुत्र श्री रामभरोसी गौड को विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंश को या विक्रेतागण के किसी भी परिवारिक सदस्य को कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 07 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्र व आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी और मेरा पक्षकार उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 1300 वर्गफुट को क्रय करने बावत हाउसिंग लोन की सुविधा पी.एन.बी. एच.एफ. एल. ग्वालियर से आवंटित करा रहा है, जो सूचित हो।

दिनांक 06.03.2026
स्थान- ग्वालियर

भवदीय
संजय बाकलीवाल एडवोकेट
चिर्क संतर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

निगम परिषद की बैठक में लिए निर्णय

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 6 मार्च. नगर निगम परिषद के विशेष सम्मेलन का आयोजन पदेन सभापति गिर्राज कंसाना की अध्यक्षता में निगम परिषद कार्यालय में आयोजित किया गया। निगम परिषद में आयोजित बैठक में म.प्र. प्राधिकार से प्रकाशित क्र. 46 भोपाल दिनांक 13.11.2020 अनुसार गत वर्ष की भांति वित्तीय वर्ष 2026-27 में कलेक्टर गाइड लाइन अनुसार सम्पत्ति कर की दरों का निर्धारण करने के संबंध में चर्चा उपरांत सभापति गिर्राज कंसाना ने उक्त प्रस्ताव को वापिस किया तथा आसंदी से निर्देशित किया कि पूर्व के ठहराव क्रमांक 56 एवं 142 का अक्षरश: पालन करें एवं जब तक पुरानी दरों से कर वसूल करें। इसके बाद ब